

# बिना एनओसी के चल रहीं फैक्ट्रियां

वर्ष 2008 से प्रदूषण बोर्ड ने नहीं दिया कोई लाइसेंस, सीएसई ने रिपोर्ट में किया खुलासा

● अमर उजला व्यूरो

## आंदोलन के बाद

### थुरू हुई थी जांच

जशोधरपुर कोट्टार। जशोधरपुर की सभी फैक्ट्रियों वर्ष 2008 से बिना प्रदूषण बोर्ड की किसी एनओसी के चल रही हैं। प्रदूषण बोर्ड ने इन फैक्ट्रियों को संचालित करने के लिए कोई लाइसेंस ही नहीं दिया है। इसका खुलासा सीएसई की रिपोर्ट में किया गया है।

जशोधरपुर स्थित एक वेडिंग प्लाइट में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण संघर्ष समिति, सेंटर फार साइंस एंड इंवेयरमेंट (सीएसई) और फैक्ट्री मालिकों की बैठक हुई। बैठक में सीएसई की ओर से वहां स्थित फैक्ट्रियों को लेकर किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट पेश की गई।

सीएसई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वहां चल रही 17 फैक्ट्रियों को वर्ष 2008 से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लाइसेंस नहीं दिया गया था।

फिर भी यह 2008 से ही बिना किसी अनुमति के यहां पर संचालित हो रही हैं। यहां नहीं जब भी यह फैक्ट्रियां प्रदूषण बोर्ड से एनओसी लेने गई तो यह मानकों पर खरी नहीं उतर पाई। इस कारण इनको एनओसी नहीं दी गई। अब



कोट्टार में फैक्ट्री मालिकों और अधिकारियों की बैठक में भाग लेते लोग।

जाता है और सीधे नदी में जाकर उसके पानी को दूषित करता है। इसका लोगों के स्वास्थ भूर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। कृषि जो पहले होती थी, उसकी मात्रा घट गई है। बैठक में सुगंध जुनेजा प्रोग्राम आफ्फीसर सीएसई, चंद्र भूषण डिप्टी डायरेक्टर जर्नल सीएसई, डा. पीके जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी राज्य प्रदूषण

बोर्ड, अमित पोखरियाल अवर फैक्ट्री मालिक और बड़ी संख्या में अभियंता राज्य प्रदूषण बोर्ड सहित ग्रामीण उपस्थित थे।